HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2285/2026
CNR: RJHC021077692026 | URN: SOSA / 4162U / 2026

Rakesh Singh Son Of Shri Rohitash Singh, Aged About 33 Years, Resident Of Dhani Dulleysingh Wali, Tan Badnagar, Police Station Pragpura, Districtkotputli-Behror (Raj.) (Accused-Appellant Confined In Child Protection Home At Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prakash Chand Thakuriya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को धारा **307** भा.दं.सं. व अन्य अपराधों में अधिकतम 07 वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त का प्रथम सजा स्थगन आवेदन दिनांक 01.05.2026 को खारिज किया गया था तत्समय अभिरक्षा की अवधि तीन माह 19 दिन हुई थी। अब अभिरक्षा की अवधि पांच माह और बढ चुकी है। अभियुक्त के विरूद्ध जो 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, उनमें से चार–पांच प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः बदली हुई परिस्थितियों में यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.25
17:11:52 IST

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों एवं तर्कों पर विचार किया गया।

प्रथम सजा स्थगन आवेदन खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। अभिरक्षा की अवधि में भी सारवान अभिवृद्धि हुई हो, ऐसी स्थिति नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह द्वितीय सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः यह द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अभियुक्त पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वे अपील के निस्तारण हेतु संबंधित नियमित पीठ के समक्ष निवेदन करे तथा छह माह में अपील का निस्तारण नहीं होता है तो वे बदली हुई परिस्थितियों में नवीन सजा स्थगन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जावेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/99/Murari Lal Sharma